कृषि निदेशालय, बिहार।

कार्यालय आदेश।

का0आ0–01/स्था०रो०क्ली०–01/2006 कृ0, पटना, दिनांक 2018

बिहार कर्मचारी चयन आयोग, पटना के पत्रांक–1889 दिनांक 18.07.2018 द्वारा विज्ञापन संख्या–07070114 के तहत अनुशंसित 24 (चौबीस) अभ्यर्थियों में से पुलिस सत्यापन प्रतिवेदन प्राप्त कुल शेष 02 (दो) अभ्यर्थियों को कृषि निदेशालय, बिहार, पटना के नियत्रणाधीन निरीक्षक (माप–तौल) के रिक्त पदों पर राज्य सरकार द्वारा स्वीकृत वेतनमान वेतन स्तर–7 तथा समय–समय पर अनुमान्य जीवन यापन भत्ता एवं अन्य देय भत्तों के साथ परिवीक्षा पर नियुक्ति आदेश निर्गत होने की तिथि से किया जाता हैः–

क्र० सं०	अभ्यर्थी का नाम	पिता/पति का नाम	स्थायी पता	रौल नं०	मेधा क्र०	आरक्षण कोटि	जन्म तिथि
1	2	3	4	5	6	7	8
1	श्री मधुसूदन कुमार चौरसिया	श्री रामाशीष चौरसिया,	पिता–श्री रामाशीष चौरसिया, ग्रा0+पो0–संजात, थाना–भगवानपुर, जिला–बेगूसराय, बिहार, पिन–851120	110590	7	BC	14.12.1989
2	श्री अजीत कुमार	श्री महेन्द्र सिंह	पिता–श्री महेन्द्र सिंह गली नं0–5, पुरानी दुर्गा स्थान, पो0+थाना–सुल्तानगंज, जिला–भागलपुर, पिन–813213	102334	17	MBC	18.02.1987

2. यह नियुक्ति संबंधित अभ्यर्थियों के द्वारा समर्पित शपथ पत्र एवं सत्यापन प्रपत्र में अंकित सूचनाओं को प्रथम द्रष्टया सही मान कर की जा रही है। सत्यापन के क्रम में प्रतिकूल प्रतिवेदन प्राप्त होने पर उनकी सेवा बिना किसी पूर्व सूचना के समाप्त कर दी जायेगी।

3. योगदान के समय संबंधित अभ्यर्थियों को असैनिक शल्य चिकित्सक–सह–मुख्य चिकित्सा पदाधिकारी द्वारा निर्गत स्वास्थ्य प्रमाण पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

4. योगदान के समय संबंधित अभ्यर्थियों को दहेज नहीं लेने एवं देने संबंधी घोषणा पत्र प्रस्तुत करना आवश्यक होगा।

5. सभी नवनियुक्त निरीक्षक (माप एवं तौल) नियुक्ति पत्र निर्गत होने की तिथि से पन्द्रह दिनों के अन्दर कृषि निदेशालय, बिहार, पटना में योगदान समर्पित करेगें।

6. बिहार पेंशन (संशोधन) नियमावली, 2005 द्वारा प्रतिपादित वित्त विभाग के संकल्प संख्या–1964 दिनांक 31.08.2005 एवं 768 दिनांक 13.07.2007 के अनुसार इन नव नियुक्त कर्मियों पर नयी अंशदायी पेंशन योजना लागू होगी।

7. संबंधित सभी अभ्यर्थियों को नियुक्ति पत्र प्राप्त करने/योगदान हेतु पदस्थापन स्थान पर आने जाने के लिए कोई यात्रा भत्ता देय नहीं होगा।

8. संबंधित अभ्यर्थियों द्वारा अभिप्रमाणित फोटोयुक्त नियुक्ति पत्र प्रस्तुत नहीं किये जाने पर योगदान स्वीकृत नहीं किया जायेगा।

2

9. योगदान के समय संबंधित सभी अभ्यर्थी को आयोग में आवेदन पत्र में दिये गये फोटो की प्रति समर्पित करना अनिवार्य होगा अन्यथा ऐसे अभ्यर्थी का योगदान स्वीकार नहीं किया जायगा।

ह0/–
कृषि निदेशक,
बिहार, पटना
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापाक –01/स्था०रो०क्ली०–01/2006 कृ0, पटना, दिनांक 2018

प्रतिलिपि :– माननीय मंत्री, कृषि विभाग, बिहार, पटना के आप्त सचिव/ कृषि उत्पादन आयुक्त, बिहार, पटना के आप्त सचिव/प्रधान सचिव, सामान्य प्रशासन विभाग, बिहार, पटना/प्रधान सचिव, कृषि विभाग, बिहार, पटना/ सचिव, बिहार कर्मचारी चयन आयोग पटना /संयुक्त कृषि निदेशक–सह–नियंत्रक, माप एवं तौल, बिहार, पटना/सभी संबंधित सफल अभ्यर्थियों/नव नियुक्त निरीक्षक, माप तौल को सूचनार्थ एवं आवश्यक कार्रवाई हेतु प्रेषित।

ह0/–
कृषि निदेशक,
बिहार, पटना
कृषि विभाग, बिहार, पटना।

ज्ञापाक –01/स्था०रो०क्ली०–01/2006 1008 कृ0, पटना, दिनांक 11-12 2018

प्रतिलिपि :– आई०टी० मैनेजर, कृषि विभाग, बिहार, पटना को विभागीय वेबसाईट पर अपलोड करने हेतु प्रेषित।

10.12.18
कृषि निदेशक,
बिहार, पटना।